भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 90

मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>घरेलू स्तर पर निर्मित सौर सेल</u>

*90. श्री कार्तिकेय शर्माः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरेलू स्तर पर निर्मित सौर सेल की वर्तमान मात्रा और इसका मूल्य क्या है और क्या यह मौजूदा मांग को पूरा करता है;

(ख) सौर पैनल निर्माताओं को उनकी परियोजनाओं के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित सौर सेल की अनिवार्य खरीद के संबंध मं जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सौर सेल की भविष्य की मांग, अनुसंधान और नवाचार के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुमोदित मॉडलों और निर्माताओं की सूची-II की स्थिति क्या है और यह स्थानीय निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्धा से कैसे बचाती है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'घरेलू स्तर पर निर्मित सौर सेल' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.02.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 90 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सौर पीवी विनिर्माता संघों अर्थात् आल इंडिया सोलर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईएसआईए) और नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन (एनआईएमएमए) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश में वर्तमान में स्थापित सौर पीवी सेल विनिर्माण क्षमता लगभग 25 गीगावाट है। निर्माता-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

निर्माता का नाम	मौजूदा स्थापित सौर पीवी सेल विनिर्माण क्षमता (गीगावाट)
फर्स्ट सोलर	3.2*
वारी एनर्जीज	5.4
टाटा/टीपी सोलर	4.6
अडानी सोलर	4.0
एमवी फोटोवोल्टिक्स	2.5
प्रीमियम एनर्जीज	2.0
रिन्यू पावर	2.0
जुपिटर इंटरनेशनल	0.9
वेबसोल	0.6
कुल	25.2

*थिन फिल्म प्रौद्योगिकी

वर्तमान में, सभी सौर परियोजनाओं के लिए स्वदेशी तौर पर विनिर्मित सौर पीवी सेलों का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, सीपीएसयू योजना चरण-II के तहत परियोजनाएं, पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) के घटक-ख और ग तथा पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में, जहाँ सरकारी सब्सिडी दी जाती है, परियोजनाओं के लिए ऐसी योजनाओं के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार स्वदेशी तौर पर निर्मित सौर पीवी सेलों और सौर पीवी मॉड्यूलों का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।

(ग) सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम और पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ, सरकार ने देश में निर्मित सौर पीवी सेलों के लिए मांग उत्पन्न की है, जिस व्यवस्था से स्वदेशी सौर पीवी सेल निर्माताओं को सहायता होगी। 500 गीगावाट के लक्ष्य से सौर सेलों के लिए मांग में भारी बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है।

मंत्रालय द्वारा विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के माध्यम से "अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी)" को कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे नवीन और अक्षय ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोगों के लिए देश में कुशल और किफायती तरीके से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण को विकसित किया जा सके। मंत्रालय द्वारा सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता और उद्योग, स्टार्ट-अप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों को 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सौर पीवी सेलों के लिए मॉडलों और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 09.12.2024 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन में सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम सूची-II को जारी करने का प्रस्ताव है, जिसे उक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार दिनांक 01 जून, 2026 से प्रभावी करने की व्यवस्था है। इसके अलावा, उक्त कार्यालय ज्ञापन में अन्य के साथ-साथ यह सूचित किया गया है कि एएलएमएम के दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं को, अपने सौर पीवी मॉड्यूलों की खरीद सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए एएलएमएम सूची-I में शामिल मॉडलों और निर्माताओं से अनिवार्य रूप से करनी होगी और ऐसे सौर पीवी मॉड्यूलों को बदले में कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट विवरणों के अनुसार, सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम सूची-II में सूचीबद्ध मॉडलों और निर्माताओं में से सौर पीवी सेलों का उपयोग करना होगा।

सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम सूची-II के कार्यान्वयन से सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं और सौर विद्युत डेवलपर्स को पहले से उपलब्ध सौर पीवी सेल निर्माताओं/मॉडलों की सूची प्रदान करने की आशा है, जिनका मूल्यांकन उनके कारखाने के निरीक्षण द्वारा गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर किया गया होता है।
